



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092024-256995  
CG-DL-E-07092024-256995

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]  
No. 697]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2024

फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

तालिका में,-

1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में,

(1) हरियाणा के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 11 और कॉलम (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(2) पंजाब के नीचे, क्रम संख्या 3 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"3.	पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, मोहाली पंजीकरण सं. 8/एन/एफएसएसएआई/2014 नॉलेज सिटी, सेक्टर-81, एसएस नगर, मोहाली, पंजाब	जैविक रासायनिक";

2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में,

(1) गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 1 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"1.	एक्यूरेट यूनिवर्सल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद पंजीकरण सं. 26/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2016 डी-171 से 174, 263 से 266, सिद्धि औद्योगिक पार्क, काजीपुर दरियापुर, बारडोलपुरा, अहमदाबाद, गुजरात	जैविक रासायनिक";

(2) महाराष्ट्र के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 21 और कॉलम (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

3. दक्षिण क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में,

(1) आंध्र प्रदेश के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 4 और कॉलम (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(2) तमिलनाडु के नीचे,

(क) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 6 और कॉलम (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;

(ख) क्रम संख्या 17 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"17.	ग्लोबल लैब एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी, सलेम पंजीकरण सं. 58/एस/एफएसएसएआई/2018 एस.एफ.नंबर 92/3ए2, गीता नगर, अलगापुरम पुदुर, सलेम, तमिलनाडु	जैविक रासायनिक";

(ग) क्रम संख्या 30 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"31.	साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयंबटूर पंजीकरण सं. 92/एस/एफएसएसएआई/2024 13/37, अविनाशी रोड, कोयंबटूर, तमिलनाडु	जैविक रासायनिक";

(3) तेलंगाना के नीचे, क्रम संख्या 11 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"12.	एनालिटिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद पंजीकरण सं. 91/एस/एफएसएसएआई/2024 बालानगर, हैदराबाद, मेडचल मल्काजगिरी, तेलंगाना	रासायनिक";

4. पूर्वी क्षेत्र से सम्बंधित 'घ' में,

(1) असम के नीचे, क्रम संख्या 1 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को संबंधित कॉलमों में अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"2.	नेशनल टेस्ट हाउस (एनईआर), गुवाहाटी पंजीकरण सं. 27/ई/एफएसएसएआई/2024 सिटी कॉम्प्लेक्स, कालापहाड़, गुवाहाटी, कामरूप मेट्रो, असम	जैविक रासायनिक";

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./467/2024-25]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारतके राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 18 जुलाई, 2024 के माध्यम से की गई थी।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2024

**F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6<sup>th</sup> December, 2016, namely: -

In the table,

1. In 'A' related to NORTHERN REGION,

(1) under **Haryana** at serial number 11, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(2) under **Punjab**, for serial number 3, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"3.	Punjab Biotechnology Incubator, Mohali Reg. No. 8/N/FSSAI/2014 Knowledge City, Sector-81, SAS Nagar, Mohali, Punjab	Biological Chemical";

2. In 'B' related to WESTERN REGION,

(1) under **Gujarat**, for serial number 1, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"1.	Accurate Universal Laboratories Private Limited, Ahmedabad Reg. No. 26/W/FSSAI/2016 D-171 To 174, 263 To 266, Siddhi Industrial Park, Kazipur Dariyapur, Bardolpura, Ahmedabad, Gujarat	Biological Chemical";

(2) under *Maharashtra*, at serial number 21, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION,

(1) under *Andhra Pradesh*, at serial number 4, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(2) under *Tamil Nadu*,

(a) at serial number 6, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;

(b) for serial number 17, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"17.	Global Lab and Consultancy Services LLP, Salem Reg. No. 58/S/FSSAI/2018 S.F.No 92/3A2, Geetha Nagar, Alagapuram Pudur, Salem, Tamil Nadu	Biological Chemical";

(c) after serial number 30, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"31.	The South India Textile Research Association, Coimbatore Reg. No. 92/S/FSSAI/2024 13/37, Avinashi Road, Coimbatore, Tamil Nadu	Biological Chemical";

(3) under *Telangana*, after serial number 11, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"12.	Analytical Testing Laboratory, National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Hyderabad Reg. No. 91/S/FSSAI/2024 Balanagar, Hyderabad, Medchal Malkajgiri, Telangana	Chemical";

4. In 'D' related to EASTERN REGION,

(1) under *Assam*, after serial number 1, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sl. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"2.	National Test House (NER), Guwahati Reg. No. 27/E/FSSAI/2024 Citi Complex, Kalapahar, Guwahati, Kamrup Metro, Assam	Biological Chemical";

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./467/2024-25]

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended vide notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 18th July, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.